

प्राथमिक उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
मिहाराण अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

पुस्तक संख्या : 248/21

- प्राथीगण :-
1. जयकृष्ण वल्लभ हुकूमसिंह कौम मीणा साकिन विरहक तहसील कुम्हर जिला पचपदरा
 2. मानगाराम पुत्र प्रभुदयाल कौम मीणा साकिन बोरियाली की डाणी कुम्हरवाला तह. आमेर जिला जयपुर ।
 3. कल्लीदेवी पत्नी मानगाराम कौम मीणा साकिन बोरियाली की डाणी कुम्हरवाला कुकस तह. आमेर जिला जयपुर ।

बनाम

- विप्राथी :-
1. राजस्थान सरकार जरिये लवण विभाग, पचपदरा ।
 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी.ए. (1) राजस्थान टैनेन्सी एक्ट

- अधिवक्तागण :-
1. श्री लक्ष्मराम चौधरी प्रार्थीगण वकील
 2. सरकारी पैरोकार

आदेश

दिनांक :- 27.6.2022



प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 21 बीघा 14 विरवा ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा में अवस्थित है जिससे लगती हुई विप्राथीगण की भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 205-0300 बीघा आई हुई है । प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत से सड़क तक आवागमन हेतु रास्ता विप्राथी की उक्त भूमि में से होकर गुजरना एकमात्र विकल्प है, जो आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बिन्दु संख्या ए से बी से दर्शाए अनुसार है। विप्राथी द्वारा रास्ते की भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में बाधा उत्पन्न कर उसे अवरुद्ध कर दिया जाता है । बरसात के मौसम में उक्त भूमि पर काश्त कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया जाता है । जिससे बरसात के मौसम में प्रार्थीगण को कृषि कार्य हेतु कृषि सयंत्र एवं ट्रैक्टर आदि अपने खेत में ले जाने में विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है । अतः प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत से सड़क तक आवागमन हेतु आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दिये गये बिन्दु संख्या ए से बी के स्थान को गैरमुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड एवं लट्टा नक्शा में दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है ।

आवेदन दर्ज कर जरिये नोटिस विप्राथी की तलबी की गयी। विप्राथीगण सरकारी पैरोकार उपस्थित । वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2074-77 एवं विप्राथीगण की भूमि जिसमें से रास्ते की मांग की गयी प्रस्तुत की। आवेदन के तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट तलब की गयी ।

प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी ।

दौराने बहसे प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत से सड़क तक आवागमन हेतु विप्राथी की भूमि खसरा संख्या 28 रकबा 205-0300 बीघा में से कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता इकलौता एक मात्र विकल्प है, जिसकी प्रार्थीगण को

फोटो स्टैट प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (गज.)

उपखण्ड अधिकारी
(D.O.) बालोतरा

अत्यन्तिक आवश्यकता है। विप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के आवागमन में अपने अडचने डालने पर प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अतः प्रार्थी आवेदन के संलग्न दिये नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बिन्दु संख्या ए से बी को गैरमुमकिन रास्तों के रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि के बदले विप्रार्थी को डी.एल.सी दर की दुगुनी राशि अदा करने हेतु सहमत है।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्ष्य तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 18 रकबा 21 बीघा 14 विस्वा भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं, जिस पर उनका कब्जा काश्त है। प्रार्थी के खातेदारी खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी की उक्त भूमि अवस्थित है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत से सड़क तक आवागमन हेतु विप्रार्थी की उक्त भूमि के मध्य अवस्थित रास्ते से गुजरना पड़ता है। उक्त रास्ता विप्रार्थी द्वारा अवरुद्ध किये जाने से प्रार्थीगण के सामने आवागमन की विकट समस्या खड़ी हो जाती है। भू.अ.नि साजियाली की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है। जिसकी प्रार्थी को अपरिहार्य आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते में प्रभावित भूमि की लम्बाई 22 गट्टा, चौड़ाई 05 गट्टा जिसका रकबा 0-05 बीघा है। विप्रार्थी की भूमि की डीएलसी दर 102911/- रुपये प्रति बीघा है। उक्त दर से रास्ते में प्रभावित भूमि की डीएलसी दर की दुगुनी राशि 51455-50/- रुपये बनती है, जो प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को अदा की जानी है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा की खसरा नम्बर 18 रकबा 21 बीघा 14 विस्वा से सड़क तक आवागमन हेतु इस ग्राम के खसरा संख्या 28 रकबा 205-0300 बीघा में से, भू.अ.नि साजियाली द्वारा दिनांक 17.6.2022 को प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित लम्बाई 22 गट्टा, चौड़ाई 05 गट्टा जिसका रकबा 0-05 बीघा भूमि, प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि रुपये 51455-50/- अदा करने, और उसके द्वारा नहीं लिये जाने पर राजकोष में जमा करवाये जाने पर, गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार पचपदरा को तदनुसार खसरा संख्या 28 रकबा 205-0300 बीघा भूमि में से 0-08 बीघा भूमि का राजस्व रेकॉर्ड गैरमुमकिन रास्ते के रूप में सरकारी खाते में अमल दरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

भू.अ.नि साजियाली द्वारा दिनांक 17.6.2022 को प्रेषित मौका फर्द में एवं प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDE) बालीकवा

आदेश आज दिनांक 27.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(SDE) बालीकवा